न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 874/2020/अजमेर (2020/00874)

विष्णु कुमार राठी पुत्र स्व0 मुकुंद दास राठी, आयु 73 वर्ष, राठी गार्डन चांग चितार रोड़, ब्यावर अजमेर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर
आदेश कमांक कअ/न्याय/शस्त्र/2020/16563 दिंनाक 23–06–2020

———

उपस्थितः 1– श्री रजत रंजन शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक :

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के पिता के नाम से दर्ज हथियार पिता के द्वारा परिवार पर सम्पत्ति की सरक्षा हेतु वर्ष 1969 से गन 22 बोर पाईन्ट, 202 नम्बर 78748, गन 12 बोर डीबीबीएल नम्बर 112248 व एक पिस्टल 32 बोर 141164 हथियारों का लाईसेंस का जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा नियमित नवीनीकरण किया जाता रहा है। अपीलार्थी के पिता स्व0 श्री मुकुंददास राठी का स्वर्गवास दिनांक 12–9–2018 को हो गया था। विधानसभा चुनाव के दौरान उक्त हथियार 7–9–2018 को संबंधित पुलिस थाना ब्यावर में जमा करवाये गय थे जिसकी रसीद भी प्राप्त की गई थी। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु होने के पश्चात अपीलार्थी द्वारा उक्त वर्णित हथियारों का लाईसेंस प्राप्त करने बाबत जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष आवश्यक दस्तावेजात सहित आवेदन पत्र दिनांक 6–12–2019 को प्रस्तुत किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपने आदेश

दिनांक 23–6–2020 के द्वारा बिना किसी आधार के अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया गया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–6–2020 नैसर्गिक न्यास व आयुद्ध अधिनियम 1959 व आयुद्ध नियम 2016 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा आदेश जिस परिपत्र के आधार पर पारित किया गया है उक्त परिपत्र वर्ष 2010 का है जिसके पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा लाईसेंस जारी करने बाबत आयुद्ध नियम 2016 लागू किया जा चुका है। परिपत्र दिनांक 31–3–2010 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिस आधार पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है वह आधार परिपत्र दिनाक 31–3–2010 अनुसार मात्र प्रोहिबिटरी वेपन पर लागू होते है ना कि अपीलार्थी के हथियारों पर।

उनका यह भी तर्क है कि आयुद्ध अधिनियम 2016 की धारा 12(3) में प्रावधित है कि अनुसूचित 1 में श्रेणा ।। में निर्दिष्ट अनुमेय हथियारों, या गोला बारूद क लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए, ओर धारा 13की उपधारा (3) क खण्ड ए मे निहित प्रावधानें पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लाईसेंसिंग प्राधिकरण, आधारित पुलिस रिपोर्ट पर ओर अपने स्वयं के आंकलन पर, के आवेदनों पर विचार कर सकते है? (ए) कोई भी व्यक्ति जा अपने व्यवसाय, पेशे, नौकेरी या अन्यथा की प्रकृति से अपने जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने की वास्तविक आवश्यकता है (बी) कोई समर्पित खिलाड़ी पिछले दो वर्षा से एक शूटिंग क्लब या राईफल ऐसोसिएशन क सक्रिय सदस्य होने के नाते, इन नियमों के तहत लाईसेंस प्राप्त है और जो संरचित सीखने की प्रक्रिया में लक्ष्य अभयास के लिए खेल शूटिंग को आगे बढ़ाना चाहता है या (सी)सेवा में कोई भी व्यक्ति या रक्षा बलो, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलां या राज्य पुलिस बल में सेवा कर रहा है और उसक जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने की वास्तविक आवश्यकता है। उक्त प्रावधान के विश्लेषण मात्र स यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी धारा 13(ए) के तहत लाईसेंस प्राप्त करने का अधिकारी है।

उनका यह भी कथन है कि आयुद्ध नियम 2016 की धारा 25 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि विधिक वारिसान की अनुज्ञप्ति का निस्तारण करने के समय मात्र यह देखा जाना आवश्यक है कि पुलिस रिपोर्ट में वारिसान के विरूद्ध कोई एडवर्स रिमार्क नहीं किया गया हो प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा

अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई एडवर्स रिमार्क पुलिस रिपोर्ट में नहीं किया गया है। अपीलार्थी एक सभ्य व कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है जिसके द्वारा कभी भी उक्त हथियारों का दुरूपयोग नहीं किया गया है ना ही किया जावेगा।

लाईसेंसिंग अथौरिटी केवल धारा–14 में वर्णित उपधारा (1) व (2) में वर्णित कारणों के होने पर ही लाइसेंस देने के लिए इन्कार कर सकते हे। आयुद्ध अधिनियम की धारा 14(1) (ख) के अन्तर्गत निम्न कारण दर्शाये गये है जिनके होने पर लाईसेंसिंग अथोरिटी लाईसेंस जारी करने से इन्कार कर सकते हैः–

1. यदि किसी व्यक्ति को आर्म्स व एम्यूनेशन रखने के लिए विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत रोक लगा रखी है।
2. विकृत चित का व्यक्ति हो।
3. जहां लोक शांति व सुरक्षा के लिए या लोक क्षेम के लिए लाईसेंस देना उचित नहीं है।
4. यह कि अपीलार्थी पर किसी भी न्यायालय या अथोरिटी ने आर्म्स व एम्यूनेशन रखने पर प्रतिबन्ध नहीं लगा रखा है। अपीलार्थी विकृत चित्त का व्यक्ति नहीं है। जब ये कारण मौजूद ही नहीं है तो जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है।
5. अपीलार्थी ने नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र आवेदन पत्र में स्वयं की सुरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति मांगी थी। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने आदेश में यह माना है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों व आयुद्ध नियम–2016 के प्रावधानों के तहत आत्मरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने आदेश में भारत सरकार गृह मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 31–3–2010 का जो भी उल्लेख किया है जिसमें आवेदक जान और माल का खतरा होने पर ही आत्म रक्षार्थ नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर सकता है।

उनका यह भी तर्क है कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र संबंधित कार्यवाही का निस्तारण मात्र आयुद्ध अधिनियम की धारा 14 के तहत ही किया जा सकता है। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण मे जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–6–2020 विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थी 73 वर्षीय व्यक्ति है जो अपनी पत्नी के साथ अकेला ब्यावर शहर से दूर आउटस्कर्टस मे अकेला रहता है। अपीलार्थी का कोई क्रिमीनल रेकार्ड भी नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। अपीलार्थी कई शैक्षणिक/परमार्थ संस्था/ ट्रस्ट आदि का सदस्य/पदाधिकारी रह चुका है। अपीलार्थी समाज का आदर्श नागरिक है। अपीलार्थी सम्पन्न परिवार से ताल्लुक रखता है। अपीलार्थी महलनुमा मकान में अकेला रहता है। अपीलार्थी दिन प्रतिदिन

की गतिविधि शहर मे सबके ध्यान मे है। अपीलार्थी ब्यावर का मशहूर व्यक्ति है। सुरक्षा की दृष्टि से अपीलार्थी के पास लाईसेंसशुदा शस्त्र होना न्यायहित में आवश्यक है। कोई घटना घटित होने के बाद ही लाईसेंस जारी किया जाना विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–6–2020 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र आवेदन को स्वीकार कर अपीलार्थी के नाम जारी शस्त्र का अनुज्ञापत्र स्वीकार किया जावे व अपीलार्थी के नाम जारी शस्त्र 22 बोर पाईन्ट, 2.2 नम्बर 78748, गन 12 बोर डीबीबीएल नम्बर 112248 व एक पिस्टल 32 बोर 141164 हथियारों का लाईसेंस/शस्त्र अनुज्ञा जारी कराने हेतु निवेदन किया गया।

उनका यह भी तर्क है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) नहीं होकर यह एक साधारण पत्र मात्र है जिसके द्वारा अपीलार्थी को केवल सूचित किया गया है। अतः इस कारण भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–6–2020 निरस्तनीय है।

अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कुछ न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये यथाः–

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बम्बई बैंच औरंगाबाद क्रिमीनल रिट पीटिशन संख्या 984/2016 बउनवान अशोक बनाम महाराष्ट्र सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12 जनवरी, 2018
2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय केरला बैंच अरनाकुर्लम प्रकरण संख्या 25573/2018 बउनवान टी.के. हरिदर्शन बनाम जिला कलक्टर, अरनाकुर्लम व अन्य
3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय केरला बैंच अरनाकुर्लम प्रकरण संख्या 4603/2014 (ए) बउनवान जोसे कुट्टियन बनाम लैण्ड रेवेन्यू कमीशनर व अन्य

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16–6–2020 में उल्लेख किया है कि अपीलार्थी श्री विष्णु कुमार राठी अपने पिता के नाम चले आ रहे शस्त्र लाईसेंस शुदा को अपने पिता स्व0 मुकुन्द दास राठी से अपने नाम हस्तांतरित करवाने हेतु आवेदन किया है। जांच में पाया गया कि आवेदक श्री विष्णु कुमार राठी की उम्र 73 साल की है। आवेदक की उम्र अधिक हो जाने के कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जाना उचित है। आवेदक न तो ख्याति प्राप्त निशानेबाज है तथा

न ही महत्वाकांशी। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर द्वारा अपीलार्थीको नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। उक्त आधार पर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आवेदन अस्वीकार किया है जो विधिसम्मत है।

दौराने बहस विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 31–3–2010 को निर्देश जारी किये है जिसके तहत अपीलार्थी को जानमाल का खतरा होने पर ही आत्म रक्षार्थ नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने के संबंध में निर्देशित किया हुआ है तथा आयुद्ध अधिनियम 2016 के नियम 12(3) में वर्णित निर्देशों में भी उक्त सन्दर्भ में प्रावधान किये हुए है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने आत्म रक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं कर आवेदन पत्र निरस्त किया है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश दिनांक 23–6–2020 विधिसम्मत होने से यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे मेरे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलार्थी श्री विष्णु कुमार राठी उसके पिता स्व0 श्री मुकुंद दास राठी के नाम से जारी शस्त्र, पिता के द्वारा परिवार पर सम्पत्ति की सरक्षा हेतु वर्ष 1969 से गन 22 बोर पाईन्ट, 2.2 नम्बर 78748, गन 12 बोर डीबीबीएल नम्बर 112248 व एक पिस्टल 32 बोर 141164 हथियारों का लाईसेंस का जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा 31–12–2018 तक नियमित नवीनीकरण किया जाता रहा है। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 12–9–2018 को होने के कारण उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र अपीलार्थी के नाम हस्तांतरण करने हेतु आवेदन पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है, अपीलार्थी के विरूद्ध न तो कोई टिप्पणी की गई है और न ही उसके विरूद्ध कोई दोषसिद्धी ही हुई है। आवेदक के विरूद्ध शांति भंग करने की कार्यवाही कभी नहीं हुई है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित सभी आलेख तथ्यात्मक दृष्टि से सही पाये गये है। आवेदक अपने विरासत नीति के तहत स्व0 पिता के नाम दर्ज शस्त्र को अपने नाम करना चाहता है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक न्याय/शस्त्र/2020/16563 दिनांक 23–6–2020 आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) नहीं है। उक्त आदेश पर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा हस्ताक्षर नहीं कर अधिनस्थ अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर अजमेर द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सजरा प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र अनुसार स्व0 श्री मुकुंद दास राठी के अपीलार्थी श्री विष्णु कुमार राठी ही एक मात्र पुत्र है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार कुलागत नीति/विरासत नीति के तहत पिता का शस्त्र पुत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

लाईसेंसिंग अथोरिटी केवल धारा 14 में वर्णित उपधारा (1) व (2) में वर्णित कारण होने पर ही लाईसेंस देने के लिए इन्कार कर सकते है। आयुद्ध अधिनियम की धारा 14 (1)(ख) के अन्तर्गत लाईसेंसिंग अथोरिटी यदि किसी व्यक्ति को आर्म्स एवं एम्यूनेशन रखने के लिए विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत रोक लगा रखी हो, व्यक्ति विकृत चित का हो, जहां लोक शांति व सुरक्षा के लिए लाईसेंस देना उचित नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी न्यायालय ने आर्म्स व एम्यूनेशन रखने पर प्रतिबन्ध नहीं लगा रखा है। अपीलार्थी विकृत चित का व्यक्ति नहीं है। पुलिस अधीक्षक अजमेर, ने अपीलार्थी की आयु 73 वर्ष की होने के कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करने की अनुशंषा की है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने केवल पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश पारित किया है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 23–6–2020 में अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आवेदन पत्र निरस्त करने का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलार्थी द्वारा दिये गये दस्तावेजी साक्ष्यों को नजर अन्दाज कर आवेदन पत्र निरस्त किया है। यह मात्र एक साधारण पत्र मात्र है जिसके द्वारा अपीलार्थी को केवल सूचित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में पुनः विचार किया जाना आवश्यक होने से जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश दिनांक 23–6–2020 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने एवं विधिसम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। यह न्यायिक दृष्टांत तथ्यपरक समानता के कारण प्रस्तुत प्रकरण में चस्पा होते है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अजमेर) का अपीलाधीन आदेश क्रमांक कअ/न्याय/शस्त्र/ 2020 /16563 दिनांक 23–6–2020 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने एवं विधिसम्मत नही होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व अध्ययन कर नियमानुसार नये सिरे से राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार कुलागत नीति/विरासत नीति के तहत पिता का शस्त्र पुत्र द्वारा प्राप्त किये जाने के प्रावधान के अनुसार विधिसम्मत निर्णय एक माह में पारित करे।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर